न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 18 / 2023 **GCMS No. 2023/39**

प्रार्थी

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

आदेश

दिनॉक :– 9/2/2023

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक परिशिष्ट–"ए" व मौका पर्चा एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार **ग्राम अड़कसर पटवार मण्डल अड़कसर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 202, 231, 233, 964/218, 965/218** में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नही है। *सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में कथन किया है कि ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 221 की चौड़ाई खसरा नम्बर 231, 233, 965/218, 964/218 के मध्य 4 मीटर है जबकि मौके पर 6 मीटर चौड़ाई में सड़क बनी हुई है तथा आगे खसरा नम्बर 202 व खसरा नम्बर 233 में भी 6 मीटर चौड़ाई में सड़क निर्मित है जबकि राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही है।* इस प्रकार यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि **ग्राम अड़कसर पटवार मण्डल अड़कसर तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 202, 231, 233, 964/218, 965/218** में मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट– "ए" व मौका पर्चा में वर्णितानुसार करावें। परिशिष्ट– "ए" व मौका पर्चा नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारो के खाते में दर्ज रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनॉक 9/2/2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:16 IST
Reason: SelfAttested